टीपः– साक्षी श्रीमती मंजुलता पैंकरा का मुख्य परीक्षण साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया गया है। जिसमें 1 से 03 तक की कंडिकाएं है।

साक्षी को शपथ दिलाई जाकर दस्तावेज प्रदर्श अंकित करने के लिए परीक्षण किया गया।

4– मैंने अपने आवेदन के समर्थन में थाना प्रभारी सीतापुर द्वारा दी गई अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए–1, प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श ए–2, आकाल मृत्यु सूचना प्रदर्श ए–3, अपराध विवरण फार्म प्रदर्श ए–4, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श ए–5, शव परीक्षण आवेदन प्रदर्श ए–6, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श ए–7, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श ए–8, की सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया है।

5– मैंनें आवेदन के समर्थन के समर्थन में थाना प्रभारी द्वारा दिये गए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–9, बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–10, माल अनुज्ञा पत्र प्रदर्श ए–11, फार्म 47 प्रदर्श ए–12, स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–13, ड्रायविंग लायसेंस प्रदर्श ए–14 की सत्याप्रति प्रति प्रस्तुत किया है। मैंनें अपने पति स्व0 मोहन प्रसाद के आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की है, मूल आज लेकर उपस्थित हुई हूॅ जिसकी मूल प्रति प्रदर्श ए–15 है तथा फोटोप्रति प्रदर्श ए–15ए है। मूल को मिलान कर वापस किया गया। मैंनें अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति एवं स्वयं एवं अपने पुत्र कुलदीप, कुलेश्वर, देवब्रत तथा मृतक की मां

चन्द्रकांती के आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत की हूॅ।

/प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री प्रशांत त्रिपाठी अधिवक्ता, वास्ते अनावेदक कमांक 3 /

6— मैं अपने पति की जन्मतिथि नही बता सकती हूॅ। यह कहना सही है कि मेरे पति राजमिस्त्री थे इसके संबंध में कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की हूॅ। मुझे यह जानकारी नहीं है कि दुर्घटना के समय मोटर सायकल पर तीन लोग सवार थे। यह कहना सही है कि मैं दुर्घटना होते नहीं देखी हूॅ। यह कहना सही है कि 12,000 प्रति माह आय कमाते थे, के संबंध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की हूॅ। यह कहना सही है कि दुर्घटना के समय मेरे पति मोटर सायकल चला रहे थे। यह कहना सही है कि मैंनें अपने पति के वाहन चालन का लायसेंस प्रस्तुत नहीं की हूॅ। स्वतः कहती है कि मै अपने वकील को दी थी वे पेश नहीं किए होंगें तो मैं नहीं बता सकती हूॅ। स्वतः कहती है कि मेरे पति का चालन अनुज्ञति थाना सीतापुर में जमा किया गया है। यह कहना गलत है कि मेरे पति के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं था इस कारण दस्तावेज पेश नहीं की हूॅ। दुर्घटनाग्रस्त मोटर सायकल मेरे पति की थी। यह कहना सही है कि उक्त मोटर सायकल का रजिस्ट्रेशन, बीमा की कागज इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की हूॅ।

7— मैं यह नहीं देखी थी कि मेरे पति के साथ मोटर सायकल में अमीन मिंज एवं युवराज सवार थे। स्वतः कहती है कि वह घर से अकेला निकला था। यह कहना गलत है कि मेरे स्व0 पति के लापरवाही से दुर्घटना हुई।

साक्षी को पढ़कर सुनाया, समझाया
सही होना स्वीकार किया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

(एल0पी0एस0 बघेल)
तृतीय मो0दु0दा0अधि0,
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

(एल0पी0एस0 बघेल)
तृतीय मो0दु0दा0अधि0,
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

/प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जे0पी0 साहू अधिवक्ता, वास्ते अनावेदक कमांक 1 /

6— कुछ नहीं।

/प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विवेक पाण्डेय अधिवक्ता, वास्ते अनावेदक कमांक 3 /

7— यह कहना सही है कि मैं बस से उतरकर अपने नाती के लिए भजिया लेने जा रही थी। यह कहना सही है कि भजिया लेने बस के पीछे से जा रही थी। यह कहना सही है कि बस से उतरकर पीछे से जा रही थी तो अचानक लापरवाहीपूर्वक जो दुर्घटना हुई वह मेरे लापरवाही से हुई। स्वतः कहा कि पीकअप की लापरवाही से उक्त दुर्घटना हुई थी। यह कहना सही है कि मैं अचानक बस के पीछे से दौड़ी तो पीकप को नहीं देख पाई, जिस कारण दुर्घटना हुई। मैं इलाज का बिल प्रकरण में प्रस्तुत कर दी हूॅ। यह कहना गलत है कि अभी मेरा कोई इलाज नहीं चल रहा है। यह कहना गलत है कि मुझे जो चोंटे आई थी वह साधारण प्रकृति की थी। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि जो मैंनें इलाज का बिल प्रस्तुत किया है वह फर्जी है। यह कहना गलत है कि आज मैं झूठा कथन कर रही हूॅ। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दावा प्रकरण बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है।

साक्षी को पढ़कर सुनाया, समझाया
सही होना स्वीकार किया। मेरे निर्देशन पर टंकित।

(एल0पी0एस0 बघेल)
तृतीय मो0दु0दा0अधि0,
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

(एल0पी0एस0 बघेल)
तृतीय मो0दु0दा0अधि0,
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)